मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 18/07/2018

//आदेश//

क्रमांक 1706/2912/2018/सत्रह/मेडि–1 :: संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक.4/शिका/सेल–5/सीहोर/2018/1231,दिनांक 29/06/2018 द्वारा डॉ. दयाराम अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर को निलंबित किया गया है। जिसके विरूद्ध डब्ल्यू. पी. क्रमांक 14569/2018–डॉ. दयाराम अहिरवार, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4/7/2018 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश दिनांक 29/06/2018 की पुष्टि करते हुए यथावत रखे जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक 1707/2912/2018/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 18/07/2018

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

01. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, म. प्र.।
02. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, म.प्र.।
03. निज सहायक, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
04. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल, म.प्र.।
05. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
06. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल।
07. संचालक (अस्पताल प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र.।
08. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र.।
09. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
10. कलेक्टर जिला सीहोर, मध्यप्रदेश।
11. उप संचालक (विज्ञप्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर, म.प्र.।
13. जिला कोषालय अधिकारी, सीहोर, म.प्र.।
14. डॉ. दयाराम अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, द्वारा–क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, म.प्र.।
15. आदेश नस्ती।

AN
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका/सेल–5/सीहोर/2018/123 भोपाल, दिनांक 29/06/2018

// आदेश //

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयों में सफाई, सुरक्षा एवं बायो मेडिकल वेस्ट मद में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड राशि से अधिक राशि का व्यय किये जाने संबधी तथ्य, संचालनालय की बजट शाखा के संज्ञान में आने के परिणामस्वरूप संचालनालय स्तर पर आदेश क्रमांक 6/ बजट–2210/2018–19/228 दिनांक 21.06.2018 द्वारा जॉचदल गठित कर प्रकरण की जॉच कराते हुये जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया।

जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर में सफाई मद में निम्न वित्तीय अनियमिततायें परिलक्षित हुई :–

पूर्ण रूपेण सुरक्षा के मद से विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सामग्री, आदि का क्रय किया गया कुल क्रय रू 49,98,893/– का किया गया। इस मद में जो व्यय होना था, वह मैनपॉवर पर होना था । इस मद में मापदण्ड रू 12,96,000/– था परंतु पूर्ण व्यय मैनपावर पर न करते हुये रू 49,98,893/– का सामग्री क्रय पर किया गया। जो कि वित्तीय अनियमितता है । लेखाशीर्षो का मद परिवर्तन किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर द्वारा इस सामग्री के क्रय में लोक निधि से व्यय के लिए आवश्यक शर्तो का पालन नहीं करते हुए म0प्र0 वित्त संहिता, भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015, म0प्र0 वित्तीय संहिता भाग 1 के नियमों का पालन भी नहीं किया गया।

डॉ दयाराम अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीहोर द्वारा कार्यालय में क्रय समिति का गठन नहीं किया गया तथा क्रय आदेशों को टुकड़ो–टुकड़ो में विभाजित किये जाने के साथ ही वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में प्रत्योजित अधिकारों का उल्लंघन किया गया। ।

अतः जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार डॉ0 दयाराम अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर द्वारा अपने पंदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण उन्होने स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंधन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ0 दयाराम अहिरवार, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम "1966" के नियम 09 (1) के अंतर्गत जनहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल निर्धारित किया जाता है। डॉ0 अहीरवार, को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

डॉ प्रभाकर तिवारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला भोपाल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर के पद का प्रभार एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता है।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित।

29/6/18

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2

पृ. कमांक.4 / शिका / सेल–5 / सीहोर / 2018 / भोपाल,दिनांक / 06 / 2018

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल,म.प्र.।
02. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र. ।
03. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की प्रविष्टी, डॉ0 अहिरवार, की सेवा पुस्तिका में अंकित करें।
04. संचालक(अस्पताल प्रशासन), स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
05. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि डॉ0 दयाराम अहिरवार के विरूद्ध जारी होने वाले आरोप पत्र का प्रारूप 10 दिवस की समयावधि में तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
06. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
07. कलेक्टर जिला सीहोर, मध्यप्रदेश ।
08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर,म0प्र0।
09. जिला कोषालय अधिकारी, सीहोर, मध्यप्रदेश।
10. डॉ0 दयाराम अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,. द्वाराः– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल,म0प्र0।
11. डॉ प्रभाकर तिवारी, जिला टीकाकारण अधिकारी, भोपाल की और पालनार्थ – द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
13. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश